



2026:AHC:56685

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2348 सन् 2026

डॉ. सुदामा पटेल उर्फ डॉ. सुदामा कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : कूँवर जितेन्द्र बहादुर सिंह, राजीव कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा

विपक्षीगण के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री उमा शंकर मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन, वाद अपराध संख्या 253 सन् 2023, अंतर्गत धाराएँ 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 आई.पी.सी., थाना- जैतपुरा, जनपद वाराणसी में अग्रिम जमानत की प्रार्थना के साथ इस निवेदन सहित प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 7 वर्ष के विलंब से दर्ज की गई है, क्योंकि कथित घटना वर्ष 2016 की बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2023 में दर्ज की गई। यह भी कहा गया कि अन्वेषण अभी भी प्रचलित है। आगे यह भी निवेदित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों के अनुसार, आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता को उसे फार्मसी की डिग्री दिलाने के मिथ्या आश्वासन पर उससे धनराशि प्राप्त की थी, तथापि उक्त डिग्री उसे प्रदान नहीं की गई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि समान प्रकृति के पूर्ववर्ती प्रकरण में आवेदक को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगा। यह कहा गया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट 7 वर्ष के विलंब से दर्ज की गई है, क्योंकि कथित घटना वर्ष 2016 की बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2023 में दर्ज की गई तथा अन्वेषण अभी भी प्रचलित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनुसार, आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता को उसे फार्मसी की डिग्री दिलाने के मिथ्या आश्वासन पर उससे धनराशि प्राप्त की थी, तथापि उक्त डिग्री उसे प्रदान नहीं की गई। यह भी निवेदित किया गया कि समान प्रकृति के पूर्ववर्ती प्रकरण में आवेदक को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

6. यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से पलायन की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. आवेदक- डॉ. सुदामा पटेल उर्फ डॉ. सुदामा कुमार की गिरफ्तारी की दशा में, उपर्युक्त वाद अपराध में उसे रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभुओं पर, संबंधित न्यायालय के संतोष के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त कराए जाने हेतु उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

आर.के.एम.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"